

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2887] No. 2887] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 30, 2019/भाद 8, 1941

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 30, 2019/BHADRA 8, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अगस्त, 2019

का.आ. 3154(अ).—केन्द्रीय सरकार, माध्यस्थम् और सुलह (संशोधन) अधिनियम, 2019 (2019 का 33) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 30 अगस्त, 2019 को ऐसी तारीख के रूप में नियत करती है जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं के उपबंध प्रवृत्त होंगे:-

- (1) धारा 1;
- (2) धारा 4 से धारा 9 [जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं];
- (3) धारा 11 से धारा 13 [जिसके अंतर्गत दोनों सम्मिलित हैं];
- (4) धारा 15 ।

[फा. सं. एच-11018/2/2017-प्रशा.- ।।। (वि.का.)] डा. राजीव मणि, संयक्त सचिव एवं विधि सलाहकार

4508 GI/2019 (i)

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs) NOTIFICATION

New Delhi, the 30th August, 2019

S.O. 3154(E).—In the exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Arbitration and Conciliation (Amendment) Act, 2019 (33 of 2019), the Central Government hereby appoints the 30th August, 2019 as the date on which the provisions of the following sections of the said Act shall come into force:—

- (1) section 1;
- (2) section 4 to section 9 [both inclusive];
- (3) section 11 to section 13 [both inclusive];
- (4) section 15.

[F.No. H-11018/2/2017-Admn.-III(LA)]

Dr. RAJIV MANI, Jt. Secy. and Legal Adviser